"दलालों से सावधान, वे आपको बहका सकते है। अपने असली कागजात दलालों के हाथ में ना दे वे आपको गुमराह कर सकते है।"

जाट रेजिमेंटल सेंटर, बरेली में १२ सितम्बर २०२२ से २४ सितम्बर २०२२ तक युनिट हैड्क्वार्टर कोटा की भर्ती के संदर्भ में।

भर्ती में भाग लेने के लिए सभी अभियार्थीयों जाट रेजिमेन्ट केन्द्र में रिपोर्ट करने के लिए को कोविड. 19 के लिए पुरी तरह टीकाकारण का प्रमानपत्र साथ होना अनिवार्य है ।

युनिट हैड्क्वार्टर कोटा के अंतर्गत खिलाड़ियों और ट्रेड्समेन संगीतकार (वाघयंत्र) श्रेणी (Musician) को छोडकर अन्य मुक्त श्रेणी के अभ्यर्थीयों का चयन नहीं किया जाता

कोहनी से कलाई तक अन्दर की तरफ व हथैली के उपरी भाग पर टैटु हो सकते है और शरीर के किसी भी भाग पर स्थाई टैटु मान्य नही हैं। तथा अभ्यर्थी अगली कार्यवाही के लिए बाधित हो जायेगा।

रेली भर्ती के दौरान सूचनायन्त्र (ब्लू टूथ), मोबाईल, संचयन उपकरण के साथ कैमरा आदि लाने की अनुमति नही है।

विशेष निर्देश

१. भारतीय सेना में सेवा के लिए अग्निपथ योजना के माध्यम से नामांकित व्यक्तियों के लिए सेवा की शर्तों और निबंधन के प्रमुख पहलुओं का उल्लेख उत्तरवर्ती पैराग्राफों में किया गया है ।

२. नियम और शर्ते

(क) नामांकन

(i) प्रशिक्षण अवधि सहित चार (०४) वर्ष की सेवा अवधि के लिए सेना अधिनियम १९५० के तहत उम्मीदवारों का नामांकन किया जाएगा ।

(ii) अग्निवीर इस प्रकार नामांकित सेना अधिनियमए १९५० के अधीन होंगे और भूमि, समुद्र या वायु के द्वारा, जहां भी आदेश दिया जाएगा, वहां जाने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(iii) इस योजना के अंतर्गत नामांकित अग्निवीर किसी प्रकार की पेंशन या ग्रेच्युटी के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(ख) सेवा

(i) अग्निवीरों की सेवा नामांकन की तिथि से शुरू होगी ।

(ii) अग्निवीर भारतीय सेना में एक अलग रैंक का गठन करेंगे, जो किसी भी अन्य मौजूदा रैंकों से अलग है ।

(iii) चार वर्ष की सेवा अवधि के दौरान छुट्टी, समान वेतन और भत्ते भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे व्यक्तियों के संबंध में आदेशों और निर्देशों द्वारा शासित होंगे ।

(iv) अग्निवीर को संगठनात्मक हित में कोई भी कर्तव्य सौंपा जा सकता है, जैसा कि समय-समय पर निश्चित होता है ।

(v) अग्निवीरों योजना के माध्यम से नामांकित कार्मिकों को जारी आदेशों द्वारा शासित अनुसार आवधिक चिकित्सा जांच-अपच और शारीरिक/लिखित/फील्ड जांचों से गुजरना होगा।
इस प्रकार प्रदर्शित निष्पादन पर नियमित संवर्ग में नामांकन के लिए अनुवर्ती प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा ।

(vi) अग्निवीरों को किसी भी रेजिमेंट/इकाई में तैनात किया जा सकता है और संगठनात्मक हित में आगे स्थानांतरित किया जा सकता है ।

(घ) <u>सेवा से समाप्ति</u> :-

(i) चार साल की सेवा पूरी होने पर सभी अग्निवीरों को सेवा निवृती दी जाएगी ।

(ii) चार वर्ष पूरा सेवा पूरी होने के बाद, उन्हें अन्य क्षेत्रों में रोजगार पर लौटने में समर्थ बनाने के लिए अग्निवीरों को "सेवा निधि" पैकेज का भुगतान किया जाएगा ।.

(iii) अग्निवीर किसी भी प्रकार की पेंशन या ग्रेच्युटी के लिए पात्र नहीं होंगे, न ही ये भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस), कैंटीन स्टोर विभाग (सीएसडी) सुविधाओं, पूर्व सैनिकों की स्थिति तथा अन्य संबंधित लाभों के पात्र होंगे ।

(iv) अग्निवीरों को सरकारी गोपनीयता अधिनियम, १९२३ के अधीन किसी अनाधिकृत व्यक्ति या स्रोत को सेवा के दौरान प्राप्त वर्गीकृत जानकारी का खुलासा करने से रोक दिया जाएगा ।

(ड). <u>नियमित संवर्ग के लिए नामांकन</u>

(i) संगठनात्मक आवश्यकताओं और नीतियों के आधार पर प्रख्यापित अग्निवीर जो प्रत्येक बैच में अपनी अनुबंध की अवधि को पूरा कर रहे हैं, उन्हें भारतीय सेना के नियमित संवर्ग में नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन आवेदनों पर सेना द्वारा अपनी अनुबंध की अवधि के दौरान प्रदर्शन सहित एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा और अग्निवीरों के प्रत्येक विशिष्ट बैच के २५% से अधिक को भारतीय सेना के नियमित संवर्ग में नामांकित नहीं किया जाएगा, उनकी चार वर्ष की अनुबंध की अवधि पूरी हो गई है ।

(ii) १५ वर्ष की और अधिक समय तक काम करने के लिए नियमित संवर्ग के रूप में नामांकित अग्निवीरों की आवश्यकता होगी और वर्तमान में प्रचलित सेवा के निबंधन और शर्त (कनिष्ठ कमीशन अधिकारियों/भारतीय सेना में अन्य श्रेणी के) द्वारा शासित होगी (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) । अग्निवीरों को चुने जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। चयन अनन्य रूप से भारतीय सेना का क्षेत्राधिकार होगा ।

(iii) इस योजना के लागू होने से चिकित्सा शाखा के तकनीकी संवर्ग को छोडकर भारतीय सेना के नियमित संवर्ग में सैनिकों का नामांकन केवल उन कार्मिकों को ही उपलब्ध होगा जिन्होंने अपनी अनुबंध की अवधि को अग्निवीर के रूप में पूरा कर लिया है ।

३. <u>नियोजनीयता</u>

(i) अग्निवीरों को संगठनात्मक हित में कोई भी कर्तव्य सौंपा जा सकता है, जैसा कि समय-समय पर निश्चित होता है ।

(ii) अग्निवीरों को किसी भी रेजिमेंट/ इकाई में तैनात किया जा सकता है और संगठनात्मक हित में अन्य रेजिमेंटों/इकाइयों में और स्थानांतरित किया जा सकता है ।

४. <u>छुट्टी</u> - छुट्टी का अनुदान सेवा की आवश्यकताओं के अधीन होगा । अग्निवीरों के लिए उनकी अनुबंध की अवधि में निम्नलिखित अवकाश लागू हो सकते हैं :-

(क) वार्षिक छुट्टी - प्रति वर्ष ३० दिन तक

(ख) अस्वस्थता अवकाश - चिकित्सा सलाह के आधार पर

५. <u>वेतन, भत्ते और सम्बद्ध लाभ</u>

(क) <u>अग्निवीरों पैकेज</u>

(i) <u>अग्निवीरों के वेतन और परिलब्धियां नीचे दिए अनुसार होंगी</u> : -

(कक) वर्ष १ - अनुकूलित पैकेज ₹ ३०,०००/- (धन - लागू भत्ते)

(कख) वर्ष २ - अनुकूलित पैकेज ₹ ३३,०००/- (धन - लागू भत्ते)

(कग) वर्ष ३ - अनुकूलित पैकेज ₹ ३६,५००/- (धन - लागू भत्ते)

(कघ) वर्ष ४ - अनुकूलित पैकेज ₹ ४०,०००/- (धन - लागू भत्ते)

(ii) पर्युक्त पैकेज से ३० प्रतिशत को प्रत्येक माह एक ऐसे कॉर्पस में अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा जिसका भारत सरकार से मिलान किया जाएगा । शेष राशि, निधि अंशदान से कम राशि ही हस्त घटक होगी ।

(ख) <u>सेवा निधि पैकेज</u> - ४ वर्ष की सेवा पर ₹ ५.०२ लाख का कॉर्पस भारत सरकार से मिलान किया जाएगा, ₹ १०.०४ लाख की राशि और उपार्जित ब्याज अग्निवीरों को दिया जाएगा । बाद में भारतीय सेना में नियमित संवर्ग के रूप में नामांकन के लिए चुने जाने वाले अग्निवीरों के मामले में उन्हें दिया जाने वाला सेवा निधि पैकेज केवल उन पर संचित ब्याज सहित ही अंशदान होगा । अग्निवीरों के अपने अनुरोध पर अपनी अनुबंध की अवधि समाप्त होने से पहले ही सेवा से बाहर हो जाने के मामले में, आज की तारीख के अनुसार संचित व्यक्तिगत सेवा निधि पैकेज का भुगतान ब्याज की लागू दर से किया जाएगा । ऐसे में सेवा निधि पैकेज में सरकारी योगदान का कोई हकदार नहीं होगा । "सेवा निधि" को आयकर से छूट मिलेगी ।

(ग) <u>भुगतान विधि- सेवा निधि पैकेज</u> - सेवा निधि पैकेज प्राप्त करने के लिए दो विकल्प प्रत्येक अग्निवीर को निधि पैकेज प्रदान किया जाएगा जिसका उद्देश्य एक बैंक गारंटी के माध्यम से स्वरोजगार/उद्यमशीलता के लिए वित्तीय ऋण प्रदान करना तथा बाहर निकलने पर तत्काल/आकस्मिक व्यय को पूरा करना है । फर्म का विवरण अलग से प्रख्यापित किया जाएगा ।

(घ) <u>भत्ते</u> अग्निवीर वेतन एक संमिश्र पैकेज है और व किसी भी दैन्य भत्ते और सैनिक सेवा वेतन के पात्र नहीं होंगे। उन्हें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित जोखिम और कठिनाईयोन, राशन, पोशाक और यात्रा भत्तों को लागू किया जाएगा।

(ङ) अग्निवीरों को सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि या किसी अन्य भविष्य निधि में कोई योगदान देने से छूट दी जाएगी।

(च) इस योजना के माध्यम से नामांकित अग्निवीरों के लिए ग्रेच्युटी या पेंशन लाभ की कोई हकदारी नहीं होगी।

६. <u>जीवन बीमा कवर</u> अग्निवीर को उनकी अनुबंध की अवधि के लिए ₹ ४८ लाख का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और वे सेना समूह बीमा निधि (AGIF) योजनाओं/लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे।

७. <u>सेवा से समाप्ति/ रिलीज़</u>

(क) अग्निवीरों के लिए सेवा की अधिकतम अवधि ऊपर के पैरा २ में गिनाया गया के रूप में होगी। हालांकि इस योजना के तहत अग्निवीर की सेवाएं किसी भी समय आर्मी एक्ट १९५० के अनुसार समाप्त की जा सकती हैं।

(ख) तथापि, अधिकांश अपवादस्वरूप मामलों में इस योजना के अधीन नामांकित कार्मिकों को, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाए, जारी किया जाए।

८. चार वर्ष की सेवा से बाहर निकलने वाले कर्मियों के लाभ चार (४) वर्ष की सेवा (लागू) पूरी करने के बाद, बाहर आने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे :-

(क) <u>सेवा निधि पैकेज</u> ऊपर के अनुच्छेद ५ (ख) का संदर्भ लें. चार वर्ष के योगदान के बाद उत्पन्न होने वाले कारपस का भुगतान बाहर निकलने वाले अग्निवीरों को किया जाएगा।

(ख) <u>अग्निवीर कौशल्य प्रमानपत्र</u> अनुबंध की अवधि के अंत में, उनकी अनुबंध की अवधि के दौरान कर्मियों द्वारा अर्जित योग्यता और स्तर पर प्रकाश डालते हुए अग्निवीरों को एक विस्तृत कौशल सेट प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(ग) <u>कक्षा १२ प्रमाणपत्र</u> अग्निवीर जो १० वीं कक्षा के बाद दाखिला ले चुके हैं, उनके ४ साल के अनुबंध की अवधि पूरी होने पर प्राप्त कौशल के आधार पर १२ वीं (समकक्ष) का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

९. जाट रेजिमेंटल सेंटर, बरेली में आयोजित युनिट हैड्क्वार्टर रिक्रुटमेंट रैली का कार्यक्रम निम्न प्रकार है :–

क्रम संख्या	भर्ती की तारीख	श्रेणी	जिला
(क)	१२ सितम्बर २०२२ (सोमवार)	अग्निवीर सामान्य ड्यूटी	उत्तराखंड और किसी भी राज्यों के । (छोडकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा) ।
(ख)	१३ सितम्बर २०२२ (मंगलवार)	अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (उत्तर प्रदेश)	आगरा, अलीगढ, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी (छत्रपति शाहूजी महाराज नगर), अमरोहा (जे पी नगर), औरैया, आजमगढ, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जोनपूर, झांसी, कनौज, कानपूर नगर, कांशीराम नगर (कासगंज), कौशाम्बी, लखीमपुर खेरी, खुशीनगर (पडरौना), ललीतपुर, लखनऊ, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ और मेरठ।
(ग)	१४ सितम्बर २०२२ (बुधवार)	अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (उत्तर प्रदेश)	बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपूर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बदायूं, भदोही, बुलन्दशहर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, जालौन, हापुर (पंचशील नगर), पिलीभीत, प्रतापगढ, रामपुर, रायबरेली, सहारनपुर, संत कबीर नगर और शाहजानपुर ।
(घ)	१६ सितम्बर २०२२ (शुक्रवार)	अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (उत्तर प्रदेश)	चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, मथुरा, शामली (प्रभुद्ध नगर), श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, कानपुर देहात, बिजनोर और सम्भल (भिम नगर)।
(ङ.)	१७ सितम्बर २०२२ (शनिवार)	अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (हरियाणा)	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुडगाँव (गुरूग्राम), हिसार, रेवाडी, नूँह (मेवात) और चरखी दादरी ।
(च)	१९ सितम्बर २०२२ (सोमवार)	अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (हरियाणा)	झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेंद्रगढ , पलवल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर।
(छ)	२० सितम्बर २०२२ (मंगलवार)	अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (राजस्थान)	अजमेर, बांसवाडा, बारा, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, बूंदी, चितौडगढ, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जोधपुर, अलवर और श्रीगंगानगर।
(ज)	२१ सितम्बर २०२२ (बुधवार)	अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (राजस्थान)	चुरू, दौसा, धौलपूर, डूंगरपुर, हनुमानगढ, जयपुर, जैसलमेर, नागौर, जालौर, झालावाड, झुंझुनू, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ और राजसमंद।
(झ)	२३ सितम्बर २०२२ (शुक्रवार)	अग्निवीर ट्रेड्समेन	सभी राज्य (अग्निवीर ट्रेड्समेन वाशरमैन) ।
(ञ)	२४ सितम्बर २०२२ (शनिवार)	अग्निवीर लिपिक (केवल जाट रेजिमेन्ट)	सभी राज्य ।
(ट)	१४ सितम्बर २०२२ (बुधवार)	चिकित्सा परीक्षण १४ सितम्बर २०२२ से अंतिम रूप तक ।	
(ठ)	२७ नवम्बर २०२२ (रविवार)	लिखित परीक्षा ।	
(ड)	उत्तरपुस्तिका परीक्षण ०५ दिसम्बर २०२२ से अंतिम रूप तक ।		
(ढ)	अंतिम परिणाम बनाना एवं घोषित करना ०९ दिसम्बर २०२२ से अंतिम रूप तक ।		

१०. यह भर्ती रैली सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध में घायल व उच्च स्तर के खिलाडियों के लिए आयोजित की जायेगी जिसका विस्तार निम्न प्रकार से है :–

(क) युद्ध विधवाओ के पुत्र।

(ख) जाट रेजिमेंट के सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिक (कानूनी रूप से गोद लिया गया पुत्र शामिल) के पुत्र।

(ग) जाट रेजिमेंट के सेवारत व सेवानिवृत्त/युद्ध में घायल सैनिको के सगे भाई।

(घ) अन्य रेजिमेंट के सेवारत व सेवानिवृत्त/युद्ध में घायल सैनिको के पुत्र/सगे भाई/कानूनी रूप से गोद लिया गया पुत्र।

(ड) उच्च स्तर के खिलाडी।

११ रिक्तियों की उपलब्धता निम्न प्रकार से है :–

(क) **अग्निवीर सामान्य ड्यूटी**. भर्ती केवल रेजिमेंट की वर्ग रचना के अनुसार की जाएगी, अर्थात सभी वर्गों (उत्तरी क्षेत्र), जाट, अहिर, राजपुत और गुज्जर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, युपी, एमपी, युके और छत्तिसगढ ।

(ख) **अग्निवीर लिपिक (केवल जाट रेजिमेन्ट) और ट्रेड्समैन** भर्ती सभी राज्यो (भारत) के सभी जाति) के विदयार्थियो जिनका नाता जाट रेजिमेंट से हो ।

(ग) अग्निवीर ट्रेडमेन में अग्निवीर वाशरमैन – ०१ पद उपल्वद हैं।

१२. **आयु वर्ग** :–

(क) आवेदक की आयु की गणना उसकी दसवीं के प्रमाण पत्र मे दर्ज जन्मतिथि के आधार पर जो कि आर्मि हेडक्वार्टर पत्र संख्या ६२५६८/आरटीजी बी (ए) दिनांक १७ जुन २०२२ के अधार पर की जाएगी। आवेदक के जन्मप्रमाण गणना उसके ट्रेड/श्रेणी के अनुसार की जाएगी ।

वर्ग	आयु सीमा	जन्मतिथी निचे के आनूसार होगी
अग्निवीर सामान्य ड्युटी	१७ १/२ से २३ वर्ष	०१ अक्टूबर १९९९ से ०१ अप्रैल २००५
अग्निवीर लिपिक और ट्रेड्समैन	१७ १/२ से २३ वर्ष	

१३. **शैक्षणिक योग्यता**

(क) **अग्निवीर सामान्य ड्युटी** ४५ प्रतिशत अंकों के साथ १० वी पास और प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक। बोर्डो में प्रत्येक विषय में न्यूनतम डी ग्रेड (३३–४०) या ग्रेड जो कि ३३ प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर सी –२ ग्रेड। ऐसे अभ्यर्थी जो उच्च शिक्षा योग्यता जैसे १२/बीए/बी कॉम/ बी एस सी प्राप्त है उनके लिए कक्षा १० वी में प्रतिशत आवश्यक नही है।

(ख) **अग्निवीर लिपिक** :–

(i) १२ वी कक्षा में प्रत्येक विषय में ५० प्रतिशत अंक तथा कुल ६० प्रतिशत अंको के साथ पास होना अनिवार्य है।

(ii) कक्षा १२ में अंग्रेजी और गणित/एकाउंट/बुक कीपींग में न्यूनतम ५० प्रतिशत अंक अनिवार्य है ।

(ग) **अग्निवीर ट्रेड्समेन** १० वी पास ।

१४. **वैवाहिक स्थिति** : २३ साल से कम उम्र का विवाहित व्यक्ति भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा सिवाय युद्ध हताहत के असली भाई के मामले में जो विधवा से विवाह करता है । ऐसे मामलो में, जरूरी कागजात भर्ती निदेशक के पास में छूट के लिए भेजा जाएगा । अगर ऐसा कोई भर्ती होता है तो उसे ट्रेनिग के दौरान कोई भी विवाहित घर लागू नहीं होगा। आर्मि हेडक्वार्टर के पत्र संख्या ६२५६३/आरटीजी ५ (ओआर) (ए) दिनांक ०७ फरवरी २००७ प्रमाणपत्र लिया जाएगा।

१५. **शैक्षणिक प्रमाण पत्र.** अभ्यर्थी भर्ती के समय निम्न दस्तावेजों की तीन (०३) सेट सत्यापित प्रतिलिपियाँ अपने साथ लायेगे :–

(क) शैक्षणिक प्रमाण पत्र. मूल शिक्षा प्रमाण पत्र व अंकपत्र जो कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या विद्यालय द्वारा दिया गया हो। अस्थाई प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में मान्य नही होगें। सभी अभ्यर्थीयों से निवेदन है कि वह अपने मूल शिक्षा प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त स्कूल व विद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित हैं या नहीं इसकी जांच करें।

(ख) निवास प्रमाण पत्र. केवल जिल्हा अधिकारी (डि एम)/ उप जिल्हा अधिकारी (SDM), जिल्हाधिश (DC) / तहसिलदार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।

(ग) जाति प्रमाणपत्र. केवल जिल्हा अधिकारी (डि एम)/ उप जिल्हा अधिकारी (SDM), जिल्हाधिश (DC) / तहसिलदार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।

(घ) चरित्र प्रमाण पत्र. ग्राम प्रधान/सरपंच तथा किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के मुख्याध्यापक व विद्यालय के प्रधानाचार्य (जहाँ अभ्यर्थी वर्तमान में पढ़ रहा है) द्वारा आधिकारिक मोहर लगा हुआ और हस्ताक्षरित किया गया प्रमाण पत्र जो भर्ती की तिथि से छह महीने की अवधि के अन्दर का होना चाहिए। **(प्रारुप परिशिष्ट अ पर संलग्न है)**

(ड) परिवार विवरण प्रमाण पत्र. अभ्यर्थी के परिवार के सभी सदस्यों की फोटो व उनके साथ संबध, नाम व जन्मतिथी अंकित किया जायेगा और ग्राम प्रधान द्वारा आधिकारिक मोहर के साथ हस्ताक्षरित किया जायेगा जो भर्ती की तिथि से छह महीने की अवधि के अन्दर का होना चाहिए। **(प्रारुप परिशिष्ट ब पर संलग्न है)**

(च) पूर्व सत्यापित प्रमाण पत्र (चरित्र). पुलिस अधिकारी (पुलिस अधीक्षक) द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र जो कि भर्ती की तिथि से छह महिने की अवधि के अन्दर का होना चाहिए।

(छ) संबन्ध प्रमाण पत्र. अभिलेख कार्यालय द्वारा जारी किया गया संबन्ध प्रमाण पत्र (संबधित अभिलेख कार्यलय के जलांक के साथ) । डी एस सी से जारी किया हुआ संबन्ध प्रमाणपत्र मान्य नही होगा, वह संबन्ध प्रमाणपत्र मात्र अभिलेख कार्यालय द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए । (नोट – शैक्षिक प्रमाण पत्र और संबन्ध प्रमाण पत्र में दर्शाये गये अभ्यर्थी के जन्म तिथि में अगर (३६६ दिन) एक वर्ष से अधिक अन्तर है तो अभ्यर्थी को दी जाने वाली छूट मान्य नही होगी। व अभ्यर्थी को मुक्त श्रेणी के अभ्यर्थी की तरह माना जायेगा। (**प्रारुप परिशिष्ट क पर संलग्न है)।**

(ज) आवेदक के नाम/पिता के नाम/माता के नाम में भिन्नता नाम समान होने की स्थिति में नाम के स्पेलिंग में भिन्नता की स्वीकर किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से आवेदक का सरनेम यदि एक जगह लिखा गया है और दूसरी जगह पर नहीं है तो उसे भी स्वीकार किया जा सकता है। जन्म तिथि शैक्षिक प्रमाण पत्र , संबन्ध प्रमाण पत्र और पता, दस्तावेजो के साथ (अंतर ३६६ दिन तक) स्वीकार किया जा सकता है । यह एक सादरण अंतर माना जाएगा और इसके लिए एक दस रूपये के नॉन ज्युडेशियल स्टाम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र आवश्यक है। सभी शपथ पत्र भर्ती की तिथि से छह महीने की अवधि के अन्दर का होना चाहिए।**(प्रारुप परिशिष्ट ड और इ पर संलग्न है)** ।

(झ) युद्ध विरता प्रमाणपत्र ओरिजनल युद्ध विरता प्रमाणपत्र जो आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा मान्य हो जो विरनारी का पुत्र/विधवा का पुत्र/युद्ध में विरगती प्राप्त हुए की पत्नी से विवाह किया हुआ भाई/युद्ध में विरगती प्राप्त का अविवाहीत भाई को पेशंन पेमेन्ट ऑर्डर के साथ मान्य होगा ।

(ट) फोटो ४० फोटो अच्छी किस्म के (पासपोट साईज जो कि रंगीन हो व पृश्ठ भूमि प्लेन हो।) फोटो प्रमाणित होना आवश्यक नही है। सभी फोटो एक सामान होने चाहिए। विभिन्न प्रकार/प्रकृति के फोटो स्वीकृत नही होंगें। जन्म तिथि फोटो के पिछे लिख हुआ होना चाहिए ।

(ञ) **अविवाहित प्रमाणपत्र** अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए नोटरी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया हलफनामा व विवाह का रजिस्ट्रेशन करने वाले विभाग या सामान्य रजिस्ट्रार सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित अविवाहित होने का प्रमाण पत्र। प्रमाणपत्र भर्ती की तिथि से छह महीने की अवधि के अन्दर का होना चाहिए **(प्रारुप परिशिष्ट ढ पर संलग्न है)** ।

(ट) **सराहनीय कार्य के प्रमाण पत्र** एन0सी0सी0/कम्पयूटर/खेल प्रमाण पत्र यदि कोई हो।

(ठ) **आधार कार्ड और पैन कार्ड** अभ्यर्थी भर्ती के समय आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने साथ लायेगे, अगर किसी अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड या पैन कार्ड नही हैं ऐसे अभ्यर्थी रसीद लेके आयेगें जिससे आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाने के लिए दिया है, यह ज्ञात हो।

(ड) **बचत बैंक खाता** अभ्यर्थीयों का खुद का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है। अच्छा हो कि बचत खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मे हो। बचत खाता की पासबुक सत्यापित प्रतिलिपि अपने साथ लायें।

१६. **दूसरे पुत्र की भर्ती हेतु.** यूनिट हैडक्वार्टर कोटे का लाभ सेवारत या सेवानिवृत सैनिक के दूसरे पुत्र द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिये उस सैनिक के पहले भर्ती हुए पुत्र के रिलेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। शारीरिक मापदंड और बोनस दोंनो का लाभ केवल एक पुत्र की स्थिति में ही प्राप्त होगा।

१७. **युद्ध में शहीद सैनिको के आश्रितों के लिए तुरंत भर्ती.** युध्द या शांतिकाल में युध्द जैसे हालात, काउन्टर इन्सैरजेन्सी ऑपरेशन या सिविल प्रशासन की सहायता करते समय में मृत्यु या अशक्त हुए सैनिको (केवल जाट रेजिमेंट के सैनिको) के बच्चों कों तुरन्त भर्ती किया जाऐगा।

१८. **स्पोर्ट्समेंन की योग्यता.** सेना मुख्यालय पत्र संख्या बी/१०११०/एम पी–३ दिनांक १९ अप्रैल २०१७ के अनुसार :–

(क) रेजिमेंटल सेंटर बिना किसी राज्य या श्रेणी का विचार किये केवल ए आई ए सी से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या अंर्तराष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती करने हेतु प्राधिकृत है।

(ख) अन्य खिलाड़ियों की भर्ती, भर्ती निदेशालय पत्र संख्या ६२५३६/आरटीजी ५ (ओ.आर.) (ए.) दिनांक १२ सितम्बर २००७ के यु0एच0क्यु0 पोलिसी के अनुसार की जायेगी।

(i) **यु0एच0क्यु0 नियमों के संम्बध में रिक्रुटींग डायरेक्ट्रेट के पत्र संख्या ६२५३६/यारटीजी ५ (ओ आर) (ए) दिनांक १२ सितम्बर २००७ का पैरा ११** "खिलाड़ियों को अलग से कोई विशेष वरीयता नहीं दी जायेगी, केवल उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती गुण दोश के आधार पर (यु0एच0क्यु0 कोटे में आवंटित कुल रिक्त पदों के दो प्रतिशत नायब सूबेदार व हवलदार रैंक के सराहनीय खिलाड़ियों सहित १० प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए)

सेन्टर कमाण्डेन्ट अपने विवेक से करेंगे। यदि सेन्टर में खिलाडियों के कोटे का कोई पद रिक्त होता है तो सेन्टर उसकी पूर्ति भर्ती द्वारा करेगा"।

(II) **रिक्रूटमेंट कम्पेन्डियम जे सी ओ/ओ आर २०१४ के पार्ट– IV, सेक्शन – IV, पैरा ८५ (बी) के अनुसार** सर्वश्रेष्ठ खिलाडी (जिसने भारत का प्रतिनिधित्व अंतराष्ट्रीय स्तर पर और राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर लेकिन प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त ना किया हो, और जिला/कॉलेज/स्कूल व विद्यालय बोर्ड चैम्पियनशिप में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो) सेन्टर द्वारा उसे यूनिट हैडक्वाटर कोटा के तहत अपने अपने खेल क्षेत्र के लिए भर्ती किया जाएगा।

१९. व्यक्तिगत और टीम खेल प्रमाण पत्र की वैधता दो वर्ष होगी जैसे व्यक्ति रैली शुरू होने के दो वर्ष तक इन खेलों में हिस्सा लिया हो (प्राधिकार सेना मुख्यालय पत्र संख्या ६२५३६/ आरटीजी ५/(ओ.आर.) (ए.) दिनांक १२ सितम्बर २०१७).

२०. खेल प्रमाण पत्र जिला खेल प्राधिकरण व ज़िला शिक्षा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

२१. यूनिट मुख्यालय कोटे के तहत हुई भर्ती रैली के चयनित उम्मीदवार PFT के लिए भेजे जाएगे।

२२. किसी भी परिस्थिति में पुल–अप (Pull-up)के स्थान पर पुश–अप (Push-up) का प्रावधान नहीं हैं।

२३. ९ फीट खाई (9 Feet ditch) & Zig-Zag संतुलन के लिए कोई अंक नहीं हैं। लेकिन सभी श्रेणी के लिए पास अनिवार्य हैं ।

२४. जो उम्मीदवार शारिरीक प्रदर्शन एंव मापदण्ड में योग्य पाया जाएगा उसे चिकित्सा जाँच के लिए भेजा जाएगा और चिकित्सा जाँच में योग्य अभ्यर्थियों को सामूहिक परिक्षा के लिए प्रवेश पत्र दिया जाएगा। अस्थायी मेडिकल जाँच में अयोग्य अभ्यर्थी पुनः जाँच के लिए जाएगा (यदि वह अयोग्य घोषित होता है, तो उसे सेना अस्पताल में १४ दिन के अन्दर रिपोर्ट करनी है)। अगर अयोग्य अभ्यर्थि दोबारा जाँच में योग्य पाया जाता है तो उसे भी प्रवेश पत्र दिया जाएगा ।

२५. उम्मीदवार को सलह दि जाती है, की वह सेना भर्ती में आने से पहले अपने आप की जॉच कर सकते है, वह अपने पैरो के तलवे समतल होना, ऑखो से कम दिखाई देना और छोटी बिमारी होना।

२६. जिस जगह भर्ति हो वह स्थान सभी के लिए प्रवेश निशिद्ध होगा छोडकर जो इस भर्ति प्रकिया में शामिल होने के लिए सुनिच्छित किये गये हो । कोई भी जवान किसी भी उम्मीदवार से नही मिलेगा ना ही मिलने की कोशिश करेगा । किसी भी उम्मीदवार को किसी भी जवान के परिवार आवास पर रहने की अनुमती नही दि जाती चाहे वह किसी का रिश्तेदार क्यो न हो । कोई भी स्टाफ भी भर्ति स्थान पर नही जाएगा जबतक उसे भर्ति अधिकारी नहीं बुलाता हो।

२७. कोई भी उम्मीदवार भर्ति कर्मचारी से संपर्क नही करेगा । अगर ऐसे करते कोई पाया जाता है तो उसे पुलिस को सपूर्त किया जाएगा।

२८. रैली आम जनता के लिए पूर्ण दृष्टि से आयोजित की जाएगी। पूरी प्रक्रिया विभिन्न चयन /स्कीनिंग प्रकिया के लिए मूल्यांकनकर्ताओं/परीक्षकों के विभिन्न सेट के साथ पारदर्शी है । परिणाम एक पंजीकृत पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है ।

२९. सभी उम्मीदवारो और उनके परिवारवालो को सलह दी जाती है कि वह दलालों से किसी भी प्रकार के पैसों का लेन–देन ना करें। ऐसी स्थिती में पुलिस को बुलावाकर आपके बच्चे का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

३०. सभी खजगी संस्था जो डिफेन्स इस्टीमेटस से बहार है, जैसे BSF, Air Force, Navy, GREF, Assam Rifles and MES से संबध रखते हो उन्हे इस भर्ति में शमिल नही किया जाएगा।

३१. भर्ति में आने जाने के लिए कोई भी खर्च नहीं दिया जाएगा ।

३२. इस भर्ति में होनेवाले मैदानी, चिकित्सा और लिखित परिक्षाओ का पूर्ण रूप से विडिओ रिकॉडेड होगी ।

३३. अभ्यर्थी भर्ती रैली के प्रारम्भिक परिक्षण के दौरान ०४०० बजे जाट रेजिमेंटल सेंटर, बरेली के **जाट गेट** पर रिपोर्ट करेगा व ०८०० बजे के बाद आनेवाले अभ्यर्थियों को भर्ती रैली में सम्मिलित नही किया जाएगा।

३४. <u>सामान्य प्रवेश परीक्षा</u> सभी उम्मीद्वार जो चिकित्सिक जाँच में योग्य पाये जाएगे वे सामान्य प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेंगे। यह परीक्षा जाट रेजिमेंटल सेन्टर बरेली में दिनांक **२७ नवम्बर २०२२** को होगी जिसमें सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ट्रेडसमैन और सिपाही लिपिक की परीक्षा होगी, जिसमें निगेटिव मार्किंग होगी हर गलत उत्तर पर १/२ नम्बर काटा जाएगा।

नोट :–

१. ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उपर्युक्त वर्णित प्रमाण नही होंगे उन्हें भर्ती रैली से निष्कासित कर दिया जाएगा। अस्थाई प्रमाण पत्र स्वीकृत नही होंगे। भर्ती पूर्णतया योग्यता और रिक्तियों पर आधारित है। भर्ती रैली के दौरान यदि अभ्यर्थी के साथ कोई घटना/चोट पहुँचती है तो रैली कराने वाला संस्थान जिम्मेदार नही होगा। भर्ती रैली के दौरान नकली प्रमाण पत्र के सहारे भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी/सेना भर्ती एक केन्द्रीय सरकार का संगठन होने के नाते सभी दस्तावेज हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में होने चाहिए।

२. **ड्रग्स के सेवन से बचें** :–

(क) ड्रग्स का सेवन करने वाले अभ्यर्थी सावधान, १.६ कि. मी दौड़ से पहले और दौड़ के बाद आपकी जांच हो सकती है।

(ख) ड्रग्स का सेवन करने से आपका चयन निरस्त किया जा सकता है।

(ग) ड्रग्स के सेवन से होने वाली दुर्घटना के लिए सेना जिम्मेवार नहीं है।

(घ) ड्रग्स का सेवन करने वाले अभ्यर्थी सावधान, १.६ कि. मी दौड तथा अन्य शारीरिक क्षमता परीक्षण के दौरान ह्दय विकार जैसी जानलेवा बिमारियों का दौरा पड़ सकता है।

(ङ) ड्रग्स वाली चीजे लाना मना है, ऐसी वर्जित चीजों के लिए आपके सामान की जॉच हो सकती है।

३. **चेतावनी** :–

(क) अभ्यर्थीयों को सुचना दी जाती है कि वह दलालों से किसी भी प्रकार के पैसों का लेन–देन ना करें। वह आपको ललचाकर प्रभावित कर सकते हैं।

(ख) भर्ती के दौरान अभ्यर्थी स्वयं अपने कागजात तथा कीमती सामान का चोरों से बचाव रखें।

४. **COVID-19 से बचाव के लिए हिदायतें**.

(अ) सभी अभियार्थी के लिए मास्क एवं गलव्स का उपयोग करना अनिवार्य है । भर्ती में भाग लेने के लिए सभी अभियार्थीयों जाट रेजिमेन्ट केन्द्र में रिपोर्ट करने के लिए को कोविड- 19 के लिए पुरी तरह टीकाकारण का प्रमानपत्र साथ होना अनिवार्य है । जिन अभियार्थीयों के पास यह सर्टीफिकेट नही होंगे उन्हें भर्ती में भाग नही लेने दिया जाएगा।

(ख) **COVID-19 अनुदेश**. COVID-१९ से बचाव के लिए निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना अनिवार्य है:-

(I) **Candidates**. सभी अभियार्थी के लिए सामाजिक दूरी, मास्क एवं गलव्स का उपयोग करना अनिवार्य है ।

(II) **COVID Screening**. सभी अभियार्थी की थर्मल सक्रीनिंग की जाएगी। रोगसूचक अभियार्थीयों को अन्य अभियार्थीयों से अलग रखा जाएग ।

(III) **सैनिक सुरक्षा**. भर्ती में शमिल सभी सैनिक, मास्क, गलव्स एवं शील्ड का उपयोग करेंगे। अभियार्थियों से नजदीकी संपर्क में आने वाले सैनिक पी पी ई किट का इसतेमाल करेंगे।

(IV) **भीड़ नियत्रण**. सामाजिक दूरी की हिदायतों का सख्ती से पालन किया जाएगा । भीड़ से बचाव के लिए प्रवेश एवं प्रसार के दौरान क्यू आर टी द्वारा नियंत्रण किया जाएगा ।

कमाण्डेंट
जाट रेजिमेंटल सेंटर
बरेली